

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264437 CG-DL-E-07072025-264437

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2953] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947 No. 2953] NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

का.आ. 3020(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) (जिसे इसके बाद "आयकर अधिनियम" कहा जाएगा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "राजस्थान हाउसिंग बोर्ड" (पैन: AAALR0046F) (जिसे इसके बाद "निर्धारिती" कहा जाएगा), राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम,1970 (1970 का अधिनियम संख्या 4) के तहत गठित बोर्ड को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

 यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ 'राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1970' (1970 का अधिनियम संख्या 4) के तहत गठित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं 72 /2025/ फा. सं. 300195/8/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025

S.O. 3020(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies "Rajasthan Housing Board" (PAN: AAALR0046F) (hereinafter referred to as "the assessee"), a board constituted under the Rajasthan Housing Board Act, 1970 (Act No. 4 of 1970), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be a board constituted under 'the Rajasthan Housing Board Act, 1970' (Act No. 4 of 1970) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 72/2025/F. No. 300195/8/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.